उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-169/2015/928(10)/38-1-2015-11 टी0आर0/2013
लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2353/38-1-2014-10टी0आर0/2013टी0सी0-1, दिनांक 14.10.2014 द्वारा अन्य के साथ श्री हवलदार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी को उपायुक्त (श्रम रोजगार), औरैया के पद पर तैनात किया गया था। सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से श्री हवलदार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी को स्थानान्तरित करते हुए उपायुक्त (श्रम रोजगार), लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है। उक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.10.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव

संख्या-169/2015/928(10)(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, कानपुर/लखनऊ/फैजाबाद ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, औरैया/लखनऊ/बाराबंकी।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया/लखनऊ/ बाराबंकी ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in